

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2
संख्या:10/2017/वे0आ0-2-356/दस/35 (एम) /2008
लखनऊ: दिनांक: 14 जुलाई, 2017
कार्यालय ज्ञाप

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वॉछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु कार्यालय-ज्ञाप सं0वे0आ0-2-370/दस-2008, दिनांक 20 अगस्त, 2008 द्वारा 27 नि:संवर्गीय पद का सृजन किया गया। कार्यालय ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-2088/दस-35 (एम) 2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2011 द्वारा गठित मुख्य सचिव समिति के सहयोग हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-वे0आ0-2-2110/दस-35 (एम) 2008, दिनांक 20 दिसम्बर, 2011 द्वारा उक्त सृजित 27 नि:संवर्गीय पदों में से 07 नि:संवर्गीय पदों की निरन्तरता दिनांक 29 फरवरी, 2012 तक के लिए बढ़ाया गया। इसी क्रम में इन पदों का कार्यकाल वर्षानुवर्ष बढ़ाया जाता रहा है, तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-7/2016वे0आ0-2-115/दस-35 (एम) 2008, दिनांक 18 फरवरी, 2016 द्वारा 07 नि:संवर्गीय पदों का कार्यकाल दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिए बढ़ाया गया। सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वॉछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-57/2016/वे0आ0-2-1261/दस-2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा 02 नि:संवर्गीय पद एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-58/2016/वे0आ0-2-1261/दस-2016, दिनांक 17 अक्टूबर, 2016 द्वारा 07 नि:संवर्गीय पद, कुल 09 नि:संवर्गीय पदों का सृजन दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिए किया गया। वेतन समिति के सहयोग हेतु उक्त 16 नि:संवर्गीय पदों की आवश्यकता विभाग में बनी हुयी है। अतः राज्यपाल महोदय निम्नांकित सभी 16 नि:संवर्गीय पदों की निरन्तरता दिनांक 31 अगस्त, 2017 तक के लिए यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

क्र० सं०	पदनाम	पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स	पदों की सं०
(1)	(2)	(3)	(4)
1-	निजी सचिव	लेबल-10 (रू० 56100-177500)	01
2-	अपर निजी सचिव	लेबल-8 (रू० 47600-151100)	01
3-	वरिष्ठ शोध अधिकारी	लेबल-11 (रू० 67700-208700)	01
4-	शोध अधिकारी	लेबल-10 (रू० 56100-177500)	02
5-	अपर सॉखिकीय अधिकारी	लेबल-7 (रू० 44900-142400))	06
6-	लेखाकार-कम-कोषाध्यक्ष	लेबल-7 (रू० 44900-142400))	01
7-	अवर वर्ग सहायक	लेबल-6 (रू० 35400-112400)	04

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपर्युक्त पदों के पदधारकों को सम्बन्धित वेतन मैट्रिक्स के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते एवं सुविधाएं, जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जायें, देय होंगे।

3- उपर्युक्त सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-2018 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-65-लेखाशीर्षक-"2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-105-विशेष जॉच आयोग-03-राज्य आयोग और समितियां-0301-वेतन समिति का गठन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या:10/2017/वे0आ0-2-356(1)/दस/35(एम)/2008,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 3- इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन।
- 4- लेखाकार-कम कोषाध्यक्ष, कार्यालय वेतन समिति (दो प्रतियों में)
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/2/5

आज्ञा से,
मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।